

24 घंटे में शिकायतों का होगा निस्तारण

डीएम ने किया जन शिकायत केंद्र का शुभारंभ

अमर उजाला ब्यूरो

मऊ। कलेक्ट्रेट भवन में स्थित पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला जन शिकायत केंद्र का शुभारंभ शनिवार को जिलाधिकारी राकेश ने फीता काटकर किया। जिसमें किसी भी व्यक्ति की ओर से फोन अथवा लिखित रूप से शिकायत की जा सकती है। साथ ही नोडल अधिकारी की ओर से शिकायत का वर्गीकरण तीन श्रेणी में किया जाएगा। जिसमें प्र श्रेणी की शिकायत का निस्तारण 24 घंटे में, बी श्रेणी का निस्तारण तीन दिन में और सी श्रेणी का निस्तारण सात दिन में किया जाएगा।

इस मौके पर जिलाधिकारी राकेश ने कहा कि जन शिकायत केंद्र में जनता के द्वारा 0547-2225026 व 0547- 2225027 दूरभाष नंबर पर शिकायत दर्ज करई जा सकती है। उक्त केंद्र पूर्वाह्न आठ बजे से रात आठ बजे तक संचालित होगा। जिसके अंदर शिकायत कर्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी जिस संबंधित अधिकारियों की शिकायत मार्फ करेगा। उसकी शिकायत एनआईसी द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर शिकायत दर्ज कराएगा। इसमें शिकायत कर्ता के नाम, पता, मोबाइल नंबर और शिकायत का विवरण दर्ज कराया जाएगा। साथ ही शिकायत के निस्तारण के पश्चात जन शिकायत

शिकायतों को तीन श्रेणियों में बांटने और तत्काल निस्तारण का निर्देश



शिकायत केंद्र का फीता काटकर उदघाटन करने जिलाधिकारी राकेश

केंद्र के द्वारा शिकायत कर्ता को सूचना दी जाएगी। शिकायत कर्ता के संतुष्ट होने के बाद निस्तारित आख्या को पुनः साफ्टवेयर पर फीड की जाएगी। डीएम ने जन शिकायत केंद्र का नंबर का सभी विभागों में अंकन करने व शिकायतों का प्रत्येक सप्ताह में समीक्षा करने का निर्देश दिया। मुख्य विकास अधिकारी बसंतलाल लाल वर्मा ने जन शिकायत केंद्र में स्वास्थ्य, पुलिस व राजस्व के निस्तारण की सूचना प्रत्येक दिन

साम चार बजे सीडीओ कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही अधिकारियों को शिकायतों को तत्काल उपलब्ध कराने और जन शिकायत केंद्र की मुहर शिकायतों पर अंकित करने आदि का निर्देश दिया। इस दौरान एडीएम रामनारायण, डीडीओ प्रहलाद सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार, सूचना विज्ञान अधिकारी बुजेश तिवारी, डा.अर्चना सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

शिकायत है, एक फोन करिये जनाब!



जन शिकायत केन्द्र का उद्घाटन करते जिलाधिकारी राकेश।

सेन्टर का का शुभारंभ जिलाधिकारी राकेश ने फीता काटकर। उन्होंने बताया कि इस तरह का पूर्वांचल में यह पहला सेन्टर है।

उक्त केन्द्र सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक खुला रहेगा। इसका दूरभाष नंबर 2225026 एवं 2225027 है। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति फोन कर समस्या नोट करा सकता है। शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर 24 घंटे, 3 दिन एवं 7 दिनों के अन्दर निस्तारित किया जायेगा।

डीएम ने बताया कि केन्द्र के नोडल अधिकारी संबंधित अधिकारी को शिकायत मार्क करेगा। एनआईसी द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर शिकायत दर्ज होगी। शिकायत वर्गीकरण जिला अधिकारी को मार्क किया जायेगा, शिकायत का विवरण, शिकायतकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, साफ्टवेयर पर दर्ज होगा।

संबंधित अधिकारी द्वारा निस्तारण के पश्चात, निस्तारण का विवरण पुनः काल सेन्टर पर आयेगा और नोडल अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता से फोन के माध्यम से निस्तारण की गुणवत्ता के बारे में पूछेगा। शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने के पश्चात निस्तारण आख्या पुनः साफ्टवेयर पर फीड कर दी जायेगी।

जन शिकायत केंद्र

- ♦ जिलाधिकारी ने किया बहुप्रतीक्षित सेंटर का उद्घाटन
- ♦ जन सामान्य भी फोन से करा सकता है समस्या का निस्तारण
- ♦ पूर्वांचल में इस तरह का है यह पहला केन्द्र

उन्होंने निर्देश दिया कि जो जनशिकायत काल सेन्टर पर प्राप्त हो रही है उसको संबंधित अधिकारियों को फोन, ईमेल के द्वारा बताया जाये। अग्नि काण्ड, संक्रामक रोग आदि दैवी आपदा की शिकायत तत्काल संबंधित विभाग को भेज दे दी जायेगी।

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी आरएन चौरसिया, सिटी मजिस्ट्रेट जितेन्द्र कुमार, सूचना विज्ञान अधिकारी, वृषेश तिवारी, डीडीओ प्रहलाद सिंह, डीएमटीओ डा. अर्चना सिंह, बाबू लाल, शीभनाथ मिश्र, सुवास लाल श्रीवास्तव सहित कई मौजूद रहे।

मऊ : जन समस्या के निस्तारण के लिये प्रशासन ने अपना द्वार आमजन के लिए पूरी तरह से खोल दिया है। इसके लिए अब इधर-उधर घटकने की जरूरत नहीं, बस एक फोन

धुमाइये और समस्या के हल की कार्रवाई शुरू। फिलहाल दावा तो इसी नेक बात का है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कलेक्ट्रेट के द्वितीय तल पर शनिवार को जन शिकायत